भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार- प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा

चर्चा में क्यों?

- 21 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिये योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिये गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा।
- प्रवीण गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हज़ार 817 मतदाता एवं विशिष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हज़ार मतदाता पंजीकृत हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/innovation-of-election-commission-of-india-facility-of-home-voting-in-assembly-general-elections-for-the-first-time-in-the-state